

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना - 7
सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

विषय :- पूर्व निर्गत आवंटन आदेश संख्या 14199 दिनांक 09.12.2021 को रद्द करते हुए पुनः विपत्र कोड - 40-2029001030001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि निदेशालय द्वारा पूर्व निर्गत आवंटन आदेश संख्या 14199 दिनांक 09.12.2021 को रद्द करते हुए पुनः वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र० सं०	विषय शीर्ष / ईकाई कोड	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना	आवंटित राशि
1	0001.01.01 वेतन	29,00,000	1,10,23,000	1,39,23,000
2	0001.01.03 जीवन यापन भत्ता	9,00,000	32,05,000	41,05,000
3	0001.01.04 मकान किराया भत्ता	5,00,000	21,23,000	26,23,000
4	0001.01.05 परिवहन भत्ता	1,00,000	7,87,000	8,87,000
5	0001.01.06 चिकित्सा भत्ता	1,00,000	2,50,000	3,50,000
6	0001.01.07 अन्य भत्ता	0	5,00,000	5,00,000
7	0001.13.01 कार्यालय व्यय	7,00,000	5,00,000	12,00,000
8	0001.13.02 वाहन ईंधन एवं रख-रखाव	1,00,000	0	1,00,000
9	0001.13.03 दूरभाष	50,000	33,500	83,500
10	0001.13.04 विद्युत	0	9,00,000	9,00,000
11	0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भूगतान	0	2,50,000	2,50,000
12	0001.14.01 किराया महसूल एवं कर	0	3,00,000	3,00,000
13	0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	5,00,000	25,00,000	30,00,000
14	0001.28.02 संविदा सेवाएँ	12,00,000	0	12,00,000
कुल योग :-		70,50,000	2,23,71,500	2,94,21,500

(दो करोड़ चौरानवें लाख एककीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

I/15226/2021

1. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या –40 एवं विपत्र कोड **40-2029001030001** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, बिहार, पटना,
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा),
3. लेखा शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना,
4. प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाइंट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।